

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 08/ज०सं० (नि०) विविध 15-04/2014-----/ राँची, दिनांक :-----/

आदेश

श्री अरविन्द कुमार सिन्हा (I.D.-J5116), कनीय अभियंता को सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के कारण विभागीय आदेश सं०-1348 दिनांक 15.02.14 द्वारा निलम्बित किया गया था।

2. श्री सिन्हा, कनीय अभियंता द्वारा विभागीय आदेश सं०-3547 दिनांक 29.06.13 का अनुपालन पूर्व में दिनांक 04.09.13 को कर लिये जाने की बात पर सम्यक विचारोपरांत उन्हें निलम्बन मुक्त करते हुए पूर्व पदस्थापित कार्यालय जलपथ अवर प्रमंडल सं०-04, चैनपुर, गुमला (जलपथ अवर प्रमंडल सं०-01, चैनपुर) में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें पूर्ण वेतनादि देय होगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

2000

राँची, दिनांक :-

4-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीया मंत्री के आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, गुमला/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं०-01, चैनपुर/लघु सिंचाई, प्रमंडल, लोहरदगा/श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 08/ज०सं० (नि०) विविध 15-04/2014-----/ राँची, दिनांक :-----/

आदेश

श्री चन्द्रशेखर ठाकुर (I.D.-J5181), कनीय अभियंता को सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के कारण विभागीय आदेश सं०-1344 दिनांक 15.02.14 द्वारा निलम्बित किया गया था।

2. श्री ठाकुर, कनीय अभियंता द्वारा विभागीय आदेश सं०-3547 दिनांक 29.06.13 का अनुपालन पूर्व में दिनांक 10.07.13 को कर लिये जाने की बात पर सम्यक विचारोपरांत उन्हें निलम्बन मुक्त करते हुए पूर्व पदस्थापित कार्यालय तेनु स्पीलवे गेट निर्माण अवर प्रमण्डल, तेनुघाट, (तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट) में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें पूर्ण वेतनादि देय होगा।

4. यह आदेश दिनांक 28.02.14 के प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक :-

2001

राँची, दिनांक :-

4-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीया मंत्री के आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/उप कोषागार पदाधिकारी, तेनुघाट/उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट/श्री चन्द्रशेखर ठाकुर, कनीय अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 08/ज०सं० (नि०) विविध 15-04/2014----- / राँची, दिनांक :----- /

आदेश

श्री चन्द्रशेखर, (I.D.-4409) सहायक अभियंता को सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के कारण विभागीय आदेश सं०-1351 दिनांक 15.02.14 द्वारा निलम्बित किया गया था।

2. श्री चन्द्रशेखर, सहायक अभियंता द्वारा निलम्बन आदेश निर्गमन के पूर्व दिनांक 12.02.14 को विभागीय आदेश सं०-7776 दिनांक 21.12.13 का अनुपालन कर लेने की बात पर सम्यक विचारोपरान्त उन्हें निलम्बन मुक्त करते हुए पूर्व पदस्थापित कार्यालय जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर, पाटन में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें पूर्ण वेतनादि देय होगा।

4. विलम्ब से आदेश का अनुपालन करने के कारण उन्हें कारण पृच्छा अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- -2002

राँची, दिनांक :- 4-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीया मंत्री के आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची प्रमण्डल, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमण्डल विशुनपुर, पाटन/श्री चन्द्रशेखर, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 08/ज०सं० (नि०) विविध 15-04/2014-----/ राँची, दिनांक :-----/

आदेश

श्री अमित कुमार, (I.D.-C101) प्राक्कलन पदाधिकारी को सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के कारण विभागीय आदेश सं०-1353 दिनांक 15.02.14 द्वारा निलम्बित किया गया था।

2. श्री कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश निर्गमन के पूर्व दिनांक 12.02.14 को विभागीय आदेश सं०-7776 दिनांक 21.12.13 का अनुपालन कर लेने की बात पर सम्यक विचारोपरान्त उन्हें निलम्बन मुक्त करते हुए पूर्व पदस्थापित कार्यालय लघु सिंचाई अनुमंडल, सिसई में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें पूर्ण वेतनादि देय होगा।

4. विलम्ब से आदेश का अनुपालन करने के कारण उन्हें कारण पृच्छा अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक :-

2003

राँची, दिनांक :- 11-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीया मंत्री के आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, गुमला/उप कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना ईचा गालूडीह/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, खरकई बाँध प्रमंडल सं०-1, मुसाबनी/लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला/श्री अमित कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 08/ज०सं० (नि०) विविध 15-04/2014-----/ राँची, दिनांक :-----/

आदेश

श्री विद्याभूषण चौधरी, (I.D.-J8120) सहायक अभियंता को सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के कारण विभागीय आदेश सं०-1349 दिनांक 15.02.14 द्वारा निलम्बित किया गया था।

2. श्री चौधरी, सहायक अभियंता द्वारा निलम्बन आदेश निर्गमन के पूर्व दिनांक 11.02.14 को विभागीय आदेश सं०-7776 दिनांक 21.12.13 का अनुपालन कर लेने की बात पर सम्यक विचारोपरान्त उन्हें निलम्बन मुक्त करते हुए पूर्व पदस्थापित कार्यालय अवर प्रमंडल, सं०-04, जसीडीह (सिंचाई प्रमंडल जसीडीह) में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें पूर्ण वेतनादि देय होगा।

4. विलम्ब से आदेश का अनुपालन करने के कारण उन्हें कारण पृच्छा अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

2004

राँची, दिनांक :-

4-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीया मंत्री के आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/देवघर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग/सिंचाई प्रमंडल, देवघर/श्री विद्याभूषण चौधरी, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 08/ज०सं० (नि०) विविध 15-04/2014-----/ राँची, दिनांक :-----/

आदेश

श्री योगेन्द्र शर्मा (I.D.-3332), सहायक अभियंता को सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के कारण विभागीय आदेश सं०-1346 दिनांक 15.02.14 द्वारा निलम्बित किया गया था।

2. श्री शर्मा को विभागीय आदेश सं०-7776 दिनांक 21.12.13 के अनुपालन हेतु विरमित किया जा चुका है, इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत इन्हें निलम्बन मुक्त करते हुए पदस्थापन स्थल कदवन बाँध अवर प्रमण्डल सं०-02, नगर ऊटारी में पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर योगदान देने का आदेश दिया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें पूर्ण वेतनादि देय होगा।

4. आदेश अनुपालन नहीं करने हेतु कारण पृच्छा अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह०/-
(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

2005

राँची, दिनांक :-

4-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीया मंत्री के आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/उप सचिव नगर विकास विभाग झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर ऊटारी /श्री योगेन्द्र शर्मा, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 08/ज०सं० (नि०) विविध 15-04/2014-----/ राँची, दिनांक :-----/

आदेश

श्री विमल कुमार झा (I.D.-3832), सहायक अभियंता को सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के कारण विभागीय आदेश सं०-1345 दिनांक 15.02.14 द्वारा निलम्बित किया गया था।

2. श्री झा को विभागीय आदेश सं०-7776 दिनांक 21.12.13 के अनुपालन हेतु विरमित किया जा चुका है, इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत इन्हें निलम्बन मुक्त करते हुए पदस्थापन स्थल जलपथ अवर प्रमण्डल सं०-03, गढ़वा शिविर नगर ऊटारी में पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर योगदान देने का आदेश दिया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें पूर्ण वेतनादि देय होगा।

4. आदेश अनुपालन नहीं करने हेतु कारण पृच्छा अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह०/-
(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

झापांक :-

2006

राँची, दिनांक :-

4-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीया मंत्री के आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/उप सचिव नगर विकास विभाग झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा/श्री विमल कुमार झा, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 08/ज०सं० (नि०) विविध 15-04/2014-----/ राँची, दिनांक :-----/

आदेश

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, (I.D.-3286) सहायक अभियंता को सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के कारण विभागीय आदेश सं०-1354 दिनांक 15.02.14 द्वारा निलम्बित किया गया था।

2. श्री सिंह, सहायक अभियंता द्वारा निलम्बन आदेश निर्गमन के पूर्व दिनांक 13.02.14 को विभागीय आदेश सं०-7776 दिनांक 21.12.13 का अनुपालन कर लेने की बात पर सम्यक विचारोपरान्त उन्हें निलम्बन मुक्त करते हुए पूर्व पदस्थापित कार्यालय रूपांकण प्रमंडल, सं०-02, मेदिनीनगर में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें पूर्ण वेतनादि देय होगा।

4. विलम्ब से आदेश का अनुपालन करने के कारण उन्हें कारण पृच्छा अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

(डॉ० लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक :-

2007

राँची, दिनांक :-

4-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीया मंत्री के आप्त सचिव/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल, सं०-02, मेदिनीनगर/श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, राँची/बैब मैनेजर जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव